

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 1916 / 2010 / जयपुर.

2. अपील संख्या – 1917 / 2010 / जयपुर.

मैसर्स किरण ज्वैलर्स, अम्बाबाड़ी, जयपुर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक आयुक्त, वृत्त-ई, जयपुर.

.....प्रत्यर्थी.

3. अपील संख्या – 1273 / 2010 / जयपुर.

मैसर्स जैन एण्ड कम्पनी, जयपुर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-बी, जयपुर.

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री खेमराज, अध्यक्ष

श्री के. एल. जैन, सदस्य

**उपस्थित : :**

श्री अलकेश शर्मा, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से (1916 व 1917 / 10).

श्री सी.एम.बटवाड़ा, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से (1273 / 10).

श्री एन. के. बैद,

उप-राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से (1916 व 1917 / 10).

श्री रामकरण सिंह,

उप-राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से (1273 / 10).

निर्णय दिनांक : 18 / 04 / 2017

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारियों की ओर से उक्त अपीलें उपायुक्त (अपील्स) चतुर्थ, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर एवं उपायुक्त (अपील्स), पंचम, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित निम्न आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

(i) अपील संख्या-1916 / 2010 - अपीलीय आदेश संख्या 100 / अपील्स-चतुर्थ / 10-11 / ई आदेश दिनांक 07.09.2010

(ii) अपील संख्या-1917 / 2010 - अपीलीय आदेश संख्या 99 / अपील्स-चतुर्थ / 2010-11 / ई आदेश दिनांक 08.09.2010

(iii) अपील संख्या-1273 / 2010 - अपीलीय आदेश संख्या 108 / अपील्स II / 2008-09 / जे.पी.बी. आदेश दिनांक 20.01.2010

2. उक्त तीनों अपीलों में प्रत्यर्थी कर निर्धारण अधिकारियों (जिन्हें आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 5 के तहत कर अधिसूचना संख्या एफ.4(67)टैक्स / 2004-43 दिनांक 12.07.2004 द्वारा बुलियन एवं सर्राफा डीलर के लिये जारी कम्पोजिशन योजना-2004 (जिसे आगे

लगातार.....2

'कम्पोजिशन योजना' कहा जायेगा) का विकल्प अपीलार्थियों द्वारा लेने के कारण कम्पोजिशन योजना अनुसार प्रत्येक वर्ष के लिये कर के एवज में कम्पोजिशन राशि का निर्धारण किया गया था। उक्त निर्धारण आदेशों के जारी होने के पश्चात अपीलार्थियों द्वारा उन्हें धारा 5 की कर पद्धति में लिये विकल्प को निरस्त कर विकल्प से बाहर रखते हुए अधिनियम की धारा 4 के अनुसार करदेयता निर्धारित करने एवं उनका कोई कर दायित्व नहीं होने से जमा राशि का रिफण्ड देने का आवेदन किया गया था जिसे अस्वीकार करने से व्यथित होकर अपीलार्थियों द्वारा अपीलीय अधिकारियों के समक्ष अपीलें की गई थी। अपीलीय अधिकारी द्वारा उक्त तीनों ही अपीलों को अस्वीकार कर, अधिनियम की धारा 5 के अनुसार करारोपण किया जाना विधिसम्मत माना गया, जिससे व्यथित होकर उक्त अपीलें प्रस्तुत की गई है।

3. उक्त तीनों ही अपीलों में तथ्यों एवं विधि के बिन्दु समान होने से तीनों ही अपीलों का संयुक्त आदेश से निष्पादन किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर अलग-अलग रखी जा रही है।

4. प्रकरणों के तथ्य यह हैं कि दोनों ही अपीलार्थी फर्मों द्वारा बुलियन का व्यवसाय किया जा रहा था एवं उन्होंने कम्पोजिशन योजना-2004 में स्वैच्छा से विकल्प लिया था जिसमें मैसर्स किरण ज्वैलर्स द्वारा वर्ष 2004-05 एवं वर्ष 2005-06 में पूरी कम्पोजिशन राशि समयवधि में जमा करवा दी थी परन्तु दोनों वर्षों की पूरी अवधि समाप्ति के पश्चात् क्रमशः दिनांक 05.09.2005 एवं दिनांक 30.06.2006 को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर निर्धारण किये जाने के पश्चात् अपीलार्थी ने यह प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया कि उक्त दोनों वर्षों में उनके द्वारा कर चुका माल विक्रय किया गया था अतः गलती से लिये गये विकल्प को समाप्त कर जमा राशि लौटाई जावे। अन्य अपीलार्थी मैसर्स जैन एण्ड कम्पनी, जयपुर ने भी वर्ष 2005-06 में कम्पोजिशन योजना-2004 में करदेयता का विकल्प लिया था एवं वर्ष 2005 के अप्रैल से सितम्बर माह तक तो आवश्यक कम्पोजिशन राशि जमा करवायी गई परन्तु बाद में माह सितम्बर से कम्पोजिशन राशि जमा नहीं करवायी गई थी। वर्ष 2005-06 की समाप्ति पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम, 1994 की धारा 29 के तहत आलौच्य अवधि का कर निर्धारण आदेश पारित कर वर्ष के प्रारम्भ में निर्धारित की गई कम्पोजिशन राशि रूपये 40,00,000/- देय माना एवं कम जमा राशि पर ब्याज का आरोपण किया गया जिसके विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर यह मांग की गई कि उन्हें अधिनियम की धारा 4 के तहत करदाता

मानते हुए उस अनुसार करारोपण करने का आदेश करें एवं विक्रय किया गया समस्त माल कर चुका खरीद होने के कारण कर दायित्व नहीं होने से धारा 5 के अनुसार जमा करायी गयी कम्पोजिशन राशि वापस लौटायी जावे परन्तु अपीलीय अधिकारी द्वारा दोनों अपीलार्थियों के तर्कों को विधिपूर्ण नहीं मानते हुए अपील अस्वीकार की गई जिसके विरुद्ध यह अपीलें प्रस्तुत की गई हैं।

5. दोनों ही प्रकरणों में उक्तानुसार विवाद का बिन्दु यह है कि अपीलार्थियों द्वारा आलौच्य अवधि के वर्ष के प्रारम्भ में अधिनियम की धारा 5 के तहत कर भुगतान के लिये जारी कम्पोजिशन योजना अनुसार अपने पूरे टर्नओवर पर कर की ऐवज में एकमुश्त राशि दिये जाने का विकल्प प्राप्त किया गया था परन्तु पूर्ण अवधि समाप्ति के पश्चात् यह पाया कि उस वर्ष में उनकी समस्त खरीद राज्य के भीतर से ही एवं 'कर चुकी' होने से यह आवेदन किया गया कि अधिनियम की धारा 4 के प्रावधान के अनुसार उनका कोई कर दायित्व नहीं है अतः अधिनियम की धारा 5 के स्थान पर धारा 4 के तहत कर निर्धारण कर उनके द्वारा जमा कराई गई राशि को वापस लौटाई जावे। उक्त आवेदन को कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी ने अनुचित एवं अविधिक माना।

6. उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषकों की बहस सुनी गयी।

7. विद्वान अभिभाषक श्री अलकेश शर्मा ने कथन किया कि अपीलार्थी किरण ज्वैलर्स द्वारा कम्पोजिशन योजना के तहत विकल्प लेकर जो राशि जमा करायी थी वह वास्तव में विधि अनुसार देय नहीं थी क्योंकि आलौच्य अवधि में अपीलार्थी का पूरा टर्नओवर उस बुलियन का था जो उनके द्वारा राज्य के भीतर आईसीआईसीआई बैंक से खरीदा गया था एवं आईसीआईसीआई बैंक ने राज्य में उस विक्रय पर कम्पोजिशन राशि जमा करवाई हुई थी। उन्होंने कथन किया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा दिये गये साईकल हाट के निर्णय (1979) 44 एस.टी.सी. पेज 401 में एवं उसी निर्णय के अनुसरण में वाणिज्यिक कर विभाग के अतिरिक्त आयुक्त द्वारा मैसर्स द्वारका ज्वैलर्स के मामले में अधिनियम की धारा 36 के तहत भी विनिश्चय किया गया है कि राज्य में प्रथम बिन्दु पर कम्पोजिशन राशि जमा हो जाने पर उस माल पर पुनः कर दिये जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह माल टैक्स पैड की श्रेणी में आएगा। इस आधार पर अपीलार्थी को धारा 5 के अनुसार जमा की गई राशि रिफण्ड योग्य है।

8. विद्वान अभिभाषक श्री शर्मा द्वारा कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उक्त आधार पर यह आवेदन प्रस्तुत किया गया था कि अधिनियम की धारा 5 में किये गये कर निर्धारण आदेशों में संशोधन किया जावे क्योंकि आलौच्य अवधि में उनके द्वारा समस्त माल राज्य में कर चुकाकर खरीदा गया है अतः उसके विक्रय पर उक्त निर्णयानुसार कोई कर दायित्व नहीं होने से उन्हें जमा राशि का रिफण्ड जारी किया जावे। उन्होंने कथन किया कि वर्ष 2004-05 में रूपये 40,00,000/- एवं वर्ष 2005-06 में रूपये 44,00,000/- की जो राशि जमा करवायी गई है वह गलती से करायी गई थी एवं अपीलार्थी द्वारा उनके विद्वान अभिभाषक श्री जे.एन. शर्मा से सलाह की जाने पर यह ध्यान में आया कि राज्य में माल के विक्रय पर एक बिन्दु पर ही कर देयता है तब अपीलार्थी ने संशोधन प्रार्थना-पत्र पेश किये थे जिसे अविधिक रूप से अस्वीकार किया गया है।

9. विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उनके संशोधन प्रार्थना पत्रों को अस्वीकार करने का यह आधार बताया है कि इस योजना में यह शर्त निहित थी कि किसी व्यवहारी के योजना में विकल्प लेने के पश्चात उस वित्तीय वर्ष में विकल्पधारी व्यवसायी को पूरे वर्ष की निर्धारित राशि चुकानी होगी एवं विकल्प प्राप्त व्यवहारी को किसी भी तरह की कटौती, सेटऑफ, आंशिक मुक्ति या उनके खरीद पर रिफण्ड प्राप्त नहीं होगा।

10. विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि आदेश के विरुद्ध अपील की जाने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा भी परिशोधन नहीं करने का निर्णय सही माना एवं इस परिशोधन को रिव्यू की श्रेणी का मानते हुए अधिकार क्षेत्र से बाहर बताया गया है जबकि आदेश में उद्धरित न्यायिक निर्णय इस प्रकरण में लागू नहीं होते थे। विद्वान अभिभाषक ने माननीय उच्च न्यायालय एवं विभिन्न न्यायिक निर्णयों के दृष्टान्त प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि यदि किसी गलती अथवा विधि की व्याख्या में त्रुटि होने पर कोई कर राशि जमा करा दी जाती है तो वह रिफण्डेबल होती है।

11. अन्य अपीलार्थी जैन ज्वैलर्स की ओर से विद्वान अभिभाषक श्री बटवाड़ा ने समान तथ्यों के मामले में कथन किया कि उनके अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा वर्ष के प्रारम्भ में धारा 5 की कम्पोजिशन योजना में विकल्प लिये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था एवं कुछ महीनों तक धारा 5 अनुसार एकमुश्त राशि का भुगतान भी किया गया था परन्तु वह भुगतान विधिक रूप से आवश्यक नहीं होना ज्ञात होने पर उनके द्वारा आगे भुगतान नहीं किया गया

परन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर निर्धारण आदेश में कम्पोजिशन योजना की शर्तों की व्याख्या करते हुए पूरे वर्ष की टर्नओवर पर कम्पोजिशन राशि एवं ब्याज की मांग सृजित की गई जो विधि के विरुद्ध है क्योंकि उनके द्वारा भी समस्त माल राज्य के भीतर से ही खरीद किया गया था। उनके द्वारा भी ऊपर वर्णित द्वारका ज्वैलर्स एवं साईकल हाट के निर्णयों का हवाला देते हुए कथन किया कि अपीलार्थी फर्म द्वितीय स्टेज का विक्रेता है एवं उनके द्वारा समस्त माल कम्पोजिशन अमाउंट जमा कराये जाने वाले व्यवसायी से खरीद किया गया है अतः वह माल कर चुका माल की श्रेणी में आयेगा जबकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उनके पूरे टर्नओवर पर एकमुश्त राशि का आरोपण किया है वह पूर्णतया गलत होने से कर निर्धारण आदेश को अपास्त कर उनके द्वारा जमा करायी गयी राशि को लौटाने पर बल दिया। विद्वान अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक निर्णयों के दृष्टान्त प्रस्तुत किये-

- (a) ए.आई.आर. 1961 सुप्रीम कोर्ट 1480 (एस.सी.) मैसर्स सैनिक मोटर्स जोधपुर बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान
- (b) (2001) 122 एस.टी.सी. 100 (एस.सी.) कमिश्नर ऑफ सेल्स टैक्स यू.पी. बनाम इन्द्रा इण्डस्ट्रीज
- (c) (2013) 19 जे.के.जैन्स वेट रिपोर्टर 158 (एस.सी.) टाटा स्काय लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ एम.पी. व अन्य
- (d) 114 एस.टी.सी. 01 (एस.सी.) शनमुगा ट्रेडर्स बनाम स्टेट ऑफ तामिलनाडू व अन्य
- (e) 93 एस.टी.सी. 185 (एस.सी.) स्टेट ऑफ तामिलनाडू बनाम रमन एण्ड कम्पनी व अन्य
- (f) ए.आई.आर. 2003 सुप्रीम कोर्ट 3240 (एस.सी.) इण्डियन हैंडीक्राफ्ट्स एम्पोरियम व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य
- (g) 44 एस.टी.सी. 401 (राज.) साईकल हाट ऑफ जयपुर बनाम दी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू
- (h) (2008) 9 वेट रिपोर्टर 179 (राज.) हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत्त, उदयपुर
- (i) (2016) 26 जे.के.जैन्स वेट रिपोर्टर 01 (राज.) वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-पाली बनाम जसवंत राज विजय राज बोहरा एण्ड कम्पनी, जैतारण पाली
- (j) 127 एस.टी.सी. 419 (राज.) अतिरिक्त आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, वाणिज्यिक कर बनाम अरिहन्त इण्डस्ट्रीज
- (k) (2010) 29 वी.एस.टी. 494 (कर्नाटक) आर.सी. इण्डिया बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक

- (l) (1969) 23 एस.टी.सी. 323 (मैसूर) आर.टी.हुलाकल बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, सिरसी
- (m) 1981 टैक्स एल. आर. 738 (कर्नाटक) आर. गोपाल रामनारायण बनाम आयकर अधिकारी वृत्त-II, बेंगलोर
- (n) (1987) 67 एस.टी.सी. 279 (केरल) उपायुक्त सेल्स टैक्स (रेवेन्यू) बनाम श्रीणी प्रिंटर्स
- (o) (2007) 7 वेट रिपोर्टर 61 Determination Under Sec. 40, RST Act, 1994 द्वाराका ज्वैलर्स, जोधपुर (अतिरिक्त आयुक्त (विधि) वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर) क्रमांक प.5(सी)7/करदर/अति.आयुक्त/विधि/2006

12. अप्रार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषकों श्री एन.के. बैद एवं श्री रामकरण सिंह द्वारा अपीलार्थीगण के तर्कों का विरोध करते हुए कथन किया कि अपीलार्थीगण द्वारा सुविचारित रूप से कम्पोजिशन योजना का विकल्प लिया गया था एवं उन्हें इस विधिक स्थिति की जानकारी थी कि धारा 4(1) के अधीन केवलमात्र कर योग्य टर्नओवर पर ही करदेयता होती है जिसमें दिनांक 12.07.2004 के पूर्व 2 प्रतिशत की कर दर थी एवं दिनांक 12.07.2004 के पश्चात 1 प्रतिशत की कर दर से कर देयता थी। धारा 5 में जारी कम्पोजिशन योजना में देय राशि हालांकि पूरे टर्नओवर पर दी जानी थी परन्तु वह राशि कर योग्य पण्यवृत्त पर देय कर के अनुपात में अत्यधिक कम थी जो इन दोनों ही अपीलार्थियों के मामलों में कर दरों की अपेक्षा केवल 5 से 10 प्रतिशत ही जमा योग्य होती थी एवं व्यापारिक लाभ की दृष्टि से वर्ष 2001-02 से ही इस योजना में लाभ लिया जा रहा था क्योंकि कर चुके माल के साथ ही उनके द्वारा करयोग्य माल की खरीदी राज्य के बाहर से की जाने की सम्भावना को देखते हुए एवं उसके तहत कर देयता के आंकलन को दृष्टिगत रखते हुए एकमुश्त राशि दिये जाने का विकल्प लिया गया है एवं कम्पोजिशन योजना की सभी शर्तों की बाध्यता के ज्ञान के साथ एकमुश्त राशि जमा करवायी गयी है परन्तु बाद में व्यापारिक स्थिति में बदलाव के कारण माल राज्य के भीतर खरीद करने का अवसर प्राप्त हो जाने से योजना की शर्तों के क्लॉज 7.3 एवं 7.4 से मुकरते हुए जमा राशि का रिफण्ड चाह रहे हैं जो अविधिक एवं अनुचित हैं। कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा गुणदोष के आधार पर विवेचित आदेश पारित किये गये हैं जिसमें किसी भी तरह के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

13. उभयपक्षों की बहस सुनी गई एवं रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। कर निर्धारण आदेश एवं अपीलीय आदेश का भी अध्ययन किया गया तथा अपीलार्थी के विद्वान एवं वरिष्ठ अभिभाषकों के कथनों एवं तर्कों के साथ प्रस्तुत समस्त न्यायिक निर्णयों का भी अध्ययन किया गया।

14. प्रकरणों में विवाद का बिन्दु यह है कि दोनों ही अपीलार्थियों द्वारा अधिनियम की धारा 5 के तहत जारी कम्पोजिशन योजना 2004 के अनुसार दिनांक 01.04.2004 एवं दिनांक 01.04.2005 से इस योजना के तहत एकमुश्त कर राशि देने का स्वैच्छिक विकल्प लिया गया था। विद्वान अभिभाषकों ने यह तर्क दिया है कि माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों में दिये गये सिद्धान्तों एवं निर्देशों के अनुसार अधिनियम 1994 एवं अधिनियम 1954 में जिस प्रावधान में कर देयता प्रथम बिन्दु पर ही अधिरोपित थी उस प्रावधान में दूसरा विक्रेता जिसने राज्य के प्रथम विक्रेता से माल का क्रय किया है उसे उस माल पर वापस कर देने की आवश्यकता नहीं थी एवं अपीलार्थियों ने चूंकि आलौच्य अवधि में समस्त माल का क्रय राज्य के भीतर स्थित बैंक के द्वारा जारी बिलों से किया गया था एवं उनके विक्रेता बैंक द्वारा कम्पोजिशन योजना के तहत कर के ऐवज में एकमुश्त राशि जमा करवायी हुई थी अतः उनका माल टैक्स पेड था अतः उन्हें धारा 4 के तहत पुनः कर देने की आवश्यकता नहीं थी अतः धारा 5 में जमा कराई गई एकमुश्त राशि वापस लौटाई जावे।

15. इस बिन्दु पर विचार किया गया, अपीलार्थियों का यह तर्क सही है कि धारा 4 के तहत लेवी ऑफ टैक्स के मामलों में किसी व्यवसायी द्वारा जो माल राज्य के भीतर से खरीद किया जाता है वह विधिक रूप से कर चुका होने की श्रेणी में आएगा एवं उस माल पर दुबारा कर आरोपणीय नहीं है चाहे उस प्रथम विक्रेता ने कर वसूल किया है या नहीं या वह किसी अधिसूचना से कर जमा करने से मुक्ति प्राप्त है तब भी दूसरे विक्रेता पर करदेयता नहीं होगी। इस संबंध में विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत माननीय उच्च न्यायालय एवं अन्य कई न्यायिक निर्णयों के दृष्टान्तों में इस सिद्धान्त की पुष्टि की है तथा इस संबंध में अतिरिक्त आयुक्त वाणिज्यिक कर, राजस्थान के विनिश्चय जोकि द्वारका ज्वैलर्स में किया गया था कि कम्पोजिशन राशि जमा कराने वाले व्यवसायियों द्वारा की गई बिक्री खरीददारों के हाथ में करचुका मानी जायेगी, विधिसम्मत निर्णय है एवं उन्होंने कोई नया सिद्धान्त नहीं दिया है बल्कि उचित विधिक स्थिति का विनिश्चय किया है।

16. उक्त पैरा अनुसार अधिनियम 1994 की धारा 4 की विधिक स्थिति में कोई विवाद नहीं है एवं धारा 4 में अपीलार्थियों की ओर से दिये गये विधिक तर्कों से कोई विवाद नहीं है परन्तु हमारे समक्ष निर्णय के लिये यह प्रश्न प्रस्तुत है कि क्या कोई व्यवसायी अधिनियम 1994 की धारा 5 में कर के ऐवज में एकमुश्त राशि देने की अधिसूचना अनुसार स्वैच्छा से विकल्प लेने के पश्चात

एवं समयावधि समाप्त होने के पश्चात् केवल लाभ हानि के मद्देनजर बाद में पुनः धारा 4 में करदेयता की विधि अनुसार कर निर्धारण करने की मांग कर सकते हैं अथवा नहीं एवं क्या विधि ऐसा किये जाने की अनुमति प्रदान करती है अथवा नहीं।

17. यह निर्णय किये जाने से पूर्व अधिनियम 1994 के अध्याय-चतुर्थ (Chapter-IV - Incidence and Levy of Tax का पठन करना आवश्यक प्रतीत होता है। इस अध्याय में धारा 3 से धारा 16 में विधायिका द्वारा कर उद्घरण करने की अलग अलग व्यवस्था करते हुये राज्य सरकार को यह शक्तियां प्रदान की हैं कि वे अलग अलग धाराओं में अलग-अलग प्रकार से कर दर एवं कर वसूली के लिये अधिसूचना जारी कर सकती हैं। सुलभ संदर्भ के लिए इस अध्याय की धाराओं का मूल पाठ उद्धरित किया जाता है :-

**Sec-4. Levy of tax and its rate.-**

- (1) Subject to the other provisions of this Act and the provisions of the Central Sales Tax Act, 1956 (Central Act 74 of 1956), the tax payable by a dealer under this Act, shall be at single point in the series of sales by successive dealers, as may be prescribed and shall be levied at such rates not exceeding fifty per cent on the taxable turnover, as may be notified by the State Government in the Official Gazette.
- (2) Where any goods are sold packed in some material, whether charged for separately or not, notwithstanding anything contained in sub-section (1), the tax liability of and the rate of tax on the packing material shall be according to the tax liability of and the rate of tax on the goods packed therein.

**Sec-5. Payment of lump sum in lieu of tax.-**

- (1) Notwithstanding anything contrary contained in the Act, the State Government may direct payment of tax in a lump sum in respect of sales of such class of goods or by such class of dealers on such terms and conditions as may be notified in the Official Gazette.
- (2) The tax in lump sum specified in sub-section (1) shall not exceed the amount of maximum tax liability provided in sub-section (1) of section 4.

**Sec-8. Levy of tax on livestock.-**

- (1) Notwithstanding anything contained in sections 3, 4 and 11, tax on the sale or purchase of livestock at such rate not exceeding ten per cent of the sale or purchase price, as the case may be, of

such live-stock and at such point of sale or purchase, as the State Government may in the Official Gazette notify in this behalf, shall be payable by every person, who sells or purchases livestock in the State and the provisions of section 31 shall mutatis mutandis apply to such person.

- (2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), in respect of livestock of such class as may be specified by the State Government by notification in the Official Gazette, tax shall be payable at such rate per head not exceeding two hundred rupees, as may be specified in the notification.
- (3) Different rate of percentage of price or different rate per head may be notified by the State Government under sub-sections (1) and (2) for different classes of livestock.

**Sec-9. Levy of tax by weight, volume or measurement on certain commodities.-**

- (1) Notwithstanding anything contained in sections 3 and 4, the State Government may fix the amount of tax payable on the sale or purchase of certain commodities on the basis of weight, volume or measurement, as may be notified in the Official Gazette.
- (2) The amount of tax payable under sub-section (1) may be fixed with reference to the types of vehicles or carriers transporting the said commodities, and also with reference to the qualities thereof.
- (3) The amount of tax notified under sub-sections (1) and (2) shall not exceed the amount of maximum tax liability provided in sub-section (1) of section 4.

**Sec-12. Levy of tax at all points.-**

- (1) Notwithstanding anything contained in section 4, the State Government may, in respect of any class of goods which may be notified in the Official Gazette in this behalf, direct that tax under this Act shall be payable on the turnover in respect of such class of goods at each point of sale by every dealer with such terms and conditions and at such rate, as may be specified in the notification.
- (2) Notwithstanding anything contained in section 4, every dealer, in case of the transfer of right to use any goods, shall pay tax on the turnover relating to each occasion of such transfer at such rates, as may be notified by the State Government in the Official Gazette, and different rates of tax may be notified for different classes of goods or different classes of dealers.

- (3) Notwithstanding anything contained in this Act, the State Government may by issuing a notification in the Official Gazette, introduce the "Value Added Tax System from such date, in such form, for such class of dealers, at such points in the series of sales and with such terms and conditions, as may be specified in the notification.

**Explanation :** "Value Added Tax" shall mean a tax on sale of commodity at more than one point in the series of sales with the provision of set off of tax paid at the previous point of sale or purchase thereof.

**Sec-15. Exemption of tax.-**

Notwithstanding anything contained in this Act, where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient in the public interest so to do, may, by notification in the Official Gazette, exempt fully or partially, whether prospectively or retrospectively from tax the sale or purchase of any goods or class of goods or any person or class of persons, without any condition or with such condition as may be specified in the notification.

**Rule-15 Point of tax (RST Rules, 1995) -**

- (1) The first point in the series of sales shall mean the first sale by a registered dealer in the State or such point in the series as may be notified by the State Government.
- (2) The last point in the series of sales shall be the sale in such series by a registered dealer to a consumer or to an unregistered dealer or to a registered dealer for purposes other than resale within the State.
- (3) The multiple point in the series of sales shall mean the sale in such series in the State by every registered dealer.
- (4) Unless otherwise specifically directed by the State Government by a notification, the tax payable under section 4 of the Act shall be at the first point in the series of sales by successive dealer.

18. ऊपर वर्णित धाराओं के पठन पर यह स्थिति स्पष्ट होती है कि इस अधिनियम में धारा 4 के अधीन कर उद्ग्रहण का प्रावधान है इसके अलावा भी अलग-अलग रीति से राज्य के कर को उद्ग्रहित करने की शक्तियां दी गई है एवं करदेयता की अन्य धाराओं में विशिष्ट रूप से धारा 4 के प्रावधान निष्प्रभावित करते हुए अलग रीति से कर वसूलने के अधिकार दिये गये हैं।

19. इस तरह कर भुगतान के लिये धारा 4 के अलावा राज्य सरकार को धारा 5 में अलग विधि से कर के भुगतान हेतु अधिसूचना जारी करने के लिये अधिकृत किया गया। इसी तरह धारा 8, धारा 9, धारा 12 में भी अलग-अलग प्रकार से कर लगाने की शक्तियां दी गयी हैं। धारा 5 में कर के एवज में एकमुश्त राशि के भुगतान की व्यवस्था करने की शक्तियां है।

20. राज्य सरकार द्वारा अधिनियम 1994 की धारा 5 के तहत एक अधिसूचना संख्या एफ.4(67)/टैक्स/2004-43 दिनांक 12.07.2004 जारी की गई थी जिसका शीर्षक कम्पोजिशन स्कीम फोर बुलियन एण्ड सर्राफा डीलर्स-2004 दिया गया था (जिसे आगे कम्पोजिशन स्कीम कहा जायेगा), इसी से समान कम्पोजिशन योजना पूर्व में दिनांक 07.05.1999 से निरन्तर जारी थी जो अधिसूचना क्रमांक एफ4(4)एफडी/टैक्स डीव./99-227 जारी की गई थी एवं उसी के निरन्तर में नई योजना 2004 लाई गई थी।

21. इस अधिसूचना के जरिये बुलियन एवं सर्राफा डीलर को यह स्वैच्छिक विकल्प दिया गया था कि वे अपने पूरे टर्नओवर पर (न कि केवल टैक्सेबल टर्नओवर पर) स्कीम में दिये गये स्लेब अनुसार एक निश्चित कम्पोजिशन राशि कर के एवज में जमा करा सकते हैं अर्थात् उन्हें धारा 5 के तहत विशिष्ट राशि के कर भुगतान करने की श्रेणी में रखते हुए एवं अधिनियम की धारा 4 के लेवी ऑफ टैक्स प्रावधान के होते हुए धारा 5 के अनुसार कर भुगतान की राशि निर्धारित की गई थी एवं इस स्कीम के तहत एकमुश्त राशि देने का लाभ लेने के लिये एक सुविधा दी गई थी। इस स्कीम में कुल 7 बिन्दुओं के तहत विभिन्न प्रक्रिया एवं कुछ शर्तों को उल्लेखित किया हुआ था जिसकी पालना करने की बाध्यता के साथ इस स्कीम के तहत कर की एवज में एक मुश्त राशि जमा कराने का विकल्प लेने की स्वतंत्रता थी। मुख्य शर्तें जिसकी वजह से विवाद किया जा रहा है वह ये थीं -

#### 7.0 Conditions.-

7.3 The dealer shall not be entitled to claim any deduction, set-off, partial exemption or refund in respect of purchases made by him.

7.4 Once he has exercised his option for the Composition Scheme, the dealer during the composition period shall not be entitled to opt out of the scheme for a part of a financial year. If any dealer wishes to opt out of the scheme in the subsequent years, he shall have to inform the assessing authority of his intention of doing so 30 days prior to the 1st day of April of such subsequent financial year.

7.5 If any dealer voluntarily withdraws from the scheme for part of a year, he shall be required to deposit all the remaining instalments of the annual composition amount at once.

22. इस तरह अधिनियम की धारा 5 के तहत राज्य सरकार द्वारा टैक्स के एवज में परन्तु टैक्स के रूप में एक विशिष्ट राशि दिये जाने के अधिकार के तहत अधिसूचना जारी करते हुए कर की एवज में एकमुश्त राशि पूरे टर्नओवर पर दिये जाने की व्यवस्था की गई थी, वह राशि तत्समय बुलियन एवं सर्राफा पर अधिनियम की धारा 4 के लिये अधिसूचित कर दर से पूरी तरह भिन्न थी। उस भिन्नता को स्पष्ट करने के लिये यह उल्लेख करना उचित है कि जहां धारा 4 में बुलियन पर कर दर दिनांक 12.07.2004 के पूर्व 2 प्रतिशत एवं उसके पश्चात 1 प्रतिशत कर दर थी जबकि धारा 5 में कर के स्थान पर एकमुश्त राशि के प्रावधान के तहत दिनांक 12.07.2004 के पूर्व स्लेब अनुसार एवं उसके पश्चात भी स्लेब अनुसार पूरे टर्नओवर पर एकमुश्त राशि देने के प्रावधान थे जोकि धारा 4 की कर दर से गणनीय राशि से बहुत कम थी।

23. यह उल्लेख करना उचित है कि अधिनियम की धारा 5 के अनुसार कर देने की योजना में विकल्प लेने पर कोई यह संशय नहीं था कि इस योजना में पूरे टर्नओवर पर एक मुश्त राशि देनी है इसी के मधेनजर जो व्यवसायी यह अनुमान रखते थे की उनके द्वारा राज्य के बाहर से माल की खरीदी अधिक होने की संभावना है अर्थात अधिक कर योग्य माल की खरीद हो सकती है ऐसी स्थिति में उन्हें धारा 5 की कर योजना में कम कर देना पड़ेगा इस व्यवसायिक अनुमान पर धारा 5 की रीति का विकल्प लिया गया। उल्लेखनीय है कि राज्य के भीतर से ही माल खरीदने की सम्भावना एवं सोच वाले व्यवसायियों द्वारा धारा 5 का विकल्प लेने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि उनके लिये धारा 4 की कर प्रणाली के अनुसार किसी तरह के कर देने की आवश्यकता नहीं थी।

24. उक्त विधिक विवेचन एवं अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत की गई अपीलों के तथ्यों के मद्देनजर यह स्पष्ट है कि इन अवधियों में अपीलार्थियों द्वारा धारा 5 के तहत प्रदत्त रीति अनुसार कर के भुगतान का विकल्प ले लिया गया था क्योंकि उस समय उनको यह अंदेशा था कि उनका अधिकतर माल राज्य के बाहर से आयेगा जो कर योग्य होगा एवं धारा 5 में कम टैक्स देने की संभावना नजर आ रही थी इसलिये धारा 5 की कर पद्धति में जाना ओप्ट कर लिया परन्तु व्यापारिक परिस्थितियों में परिवर्तन होने से राज्य के बाहर से माल ना लाकर राज्य में ही माल खरीद कर लिया गया ऐसी स्थिति में चूंकि वे द्वितीय

स्टेज के व्यापारी थे अतः उनका विक्रय धारा 4 के अनुसार कर देय नहीं होता क्योंकि वह सारा माल Tax paid था, परन्तु इस प्रकार केवल लाभ प्राप्त करने के लिये किसी व्यवहारी को स्वयं द्वारा प्राप्त ऑप्शन में परिवर्तन करने की अनुमति बाद में नहीं दी जा सकती। यह भी उल्लेखनीय है कि कम्पोजिशन योजना में योजना से बाहर आने की व्यवस्था भी की गई थी जिसमें उस अवधि के दौरान ही प्रार्थना पत्र पेश करके वे बाहर आ सकते थे परन्तु अपीलार्थियों द्वारा वह अधिकार प्रयोग में नहीं लिया गया और समयावधि समाप्त होने के पश्चात केवल लाभ हानि के आधार पर अब धारा 5 के स्थान पर धारा 4 में कर निर्धारण चाहते हैं जिसे विधि अनुमति प्रदान नहीं करती है। राज्य के पंजीकृत व्यवसायियों द्वारा कर उद्वग्रहण का कार्य राज्य की विधि अनुसार किया जाता है तथा वे राज्य के साथ कर उद्वग्रहण का व्यापार नहीं करते हैं, जिससे व्यापारिक लाभ हानि के आधार पर कर का भुगतान करें। उक्त विवेचनानुसार स्पष्ट है कि अधिनियम 1994 में कर भुगतान के भिन्न-भिन्न प्रावधान अनुसार कर देयता थी एवं प्रत्येक की रीति अलग थी एवं वे एक-दूसरे को प्रभावित नहीं करती है।

25. दोनों ही प्रकरणों में अपीलार्थी फर्म बड़े टर्नओवर करने वाली फर्म है जैसा कि जैन एण्ड कम्पनी द्वारा आलौच्य अवधि में रुपये 200 करोड़ से अधिक का व्यापार आवर्त बताया है एवं किरण ज्वैलर्स ने वर्ष 2004-05 में 829 करोड़ का व्यापार आवर्त एवं वर्ष 2005-06 में 843 करोड़ का व्यापार आवर्त बताया है जिनके बारे में यह विचार रखना विवेकपूर्ण नहीं होगा कि उनके द्वारा कर प्रणाली में करदेयता सम्बन्धी दो तरह के विकल्प के विद्यमान होने पर बिना किसी सोच विचार के अथवा अज्ञानता से कम्पोजिशन योजना का विकल्प प्राप्त कर लिया होगा। किरण ज्वैलर्स में यह तर्क देना कि उन्हें बाद में श्री जे.एन. शर्मा जैसे वरिष्ठ एवं विद्वान अभिभाषक के साथ विचार विमर्श पर यह ध्यान में आया कि उनके द्वारा गलत विकल्प लिया गया है असत्य कथन है क्योंकि यही अपीलार्थी पूर्व के वर्षों से इस योजना का लाभ लेता आया है एवं यह विकल्प लाभकारी ज्ञात होने से उनके द्वारा वर्ष 2004-05 एवं वर्ष 2005-06 में लगातार एकमुश्त राशि जमा कराये जाने की पालना की गई है। इसी तरह जैन एण्ड कम्पनी द्वारा भी पूर्ण विचार के साथ यह विकल्प लिया गया है।

26. माननीय न्यायालयों के प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों में भी यह सिद्धान्त मूल रूप से प्रतिपादित है कि किसी भी विधिक प्रावधानों के तहत कर का भुगतान उसमें दिये गये शब्दों एवं स्पष्ट अनुबन्धों के अनुसार ही होगा एवं यह सिद्धान्त

राज्य एवं करदाता दोनों पर ही लागू होता है चूंकि इन अपीलार्थियों ने स्वैच्छा से धारा 5 में जारी अधिसूचना के तहत कर की एवज में एकमुश्त राशि दिये जाने का विकल्प लिया है तब इस अधिसूचना की शर्त संख्या 7.3 के अनुसार किसी भी तरह का क्लेम अपने खरीद पर नहीं लिया जा सकता एवं इसीलिये उनके द्वारा खरीद किये गये माल करदत्त होने से एकमुश्त राशि का रिफण्ड लेने का अधिकार नहीं दिया जा सकता इसी तरह शर्त संख्या 7.4 में विकल्प लेने के पश्चात उस वित्तीय वर्ष में विकल्प को छोड़ना चाहे तब उस वर्ष की पूरी राशि जमा कराने का दायित्व रखा गया है एवं इसी शर्त अनुसार जैन एण्ड कम्पनी पर पूरे वर्ष की राशि निर्धारित की गई है जिसमें कोई अविधिकता नहीं की गई है।

27. दोनों ही अपीलार्थियों के विद्वान अभिभाषकों द्वारा इस बिन्दु पर बल दिया जा रहा है कि धारा 5 में जारी इस अधिसूचना का विकल्प भले ही ले लिया हो परन्तु उनका टर्नओवर करदत्त होने से उस पर कोई कर देयता सृजित नहीं हो सकती अतः उन्हें इस विकल्प से हटने की स्वतंत्रता है यह गलत एवं विधि के विरुद्ध तर्क हैं क्योंकि अपीलार्थियों को राज्य की ओर से कोई बाध्यकारी विकल्प नहीं दिया गया है बल्कि यह स्वयं द्वारा लिया गया विकल्प है।

28. पुनः संक्षिप्त में सार दिया जाता है कि अधिनियम 1994 की धारा 4 में कर अधिरोपित करने के प्रावधान है जिसमें एकल बिन्दु पर कर आरोपणीय बताया गया है जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कर दर अनुसार होगा। जबकि धारा 5 में कर के भुगतान करने की एक अलग व्यवस्था दी गई है जिसमें प्रावधान Notwithstanding से प्रारम्भ किया गया है जिसमें राज्य सरकार को देय टैक्स के स्थान पर एकमुश्त राशि लेने का अधिकार दिया गया है एवं धारा 5 की उपधारा (2) में केवल यह अंकुश लगाया गया है कि धारा 5 में कर भुगतान के प्रावधान में यह सीमा बनी रहेगी कि वे धारा 4(1) के तहत उद्ग्रहणीय कर दर से गणना पर प्राप्त राशि से अधिक राशि धारा 5 में उद्ग्रहणीय नहीं की जा सकती है। इन धाराओं के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार धारा 4 के होते हुए भी केवल मात्र अधिकतम राशि के अंकुश के अलावा किसी भी श्रेणी या व्यक्ति को एक विशिष्ट राशि कर के रूप में अदा करने की अधिसूचना जारी कर सकती है चूंकि कम्पोजिशन योजना कर राशि के एवज में ही राशि लिये जाने के प्रावधान करती है जो धारा 5 के तहत है उस स्थिति में ऐसे व्यवसायी धारा 4 की परिधि से बाहर आ जाते हैं यहां यह विशिष्ट रूप से कहना उचित होगा कि राज्य सरकार द्वारा एक न्याय सम्मत

निर्णय करते हुए यह आदेश दिये हैं कि बुलियन एवं सर्राफा व्यवसायी यह

विकल्प स्वैच्छा से ले सकते हैं एवं यह बाध्यता नहीं है। चूंकि राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की उक्त धारा 5 में दिये गये शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक अन्य व्यवस्था का स्थापन किया है अतः अधिनियम की धारा 5 का विकल्प प्राप्त करने के पश्चात कोई व्यवसायी केवल अन्यथा लाभ प्राप्त करने के लिये धारा 4 के प्रावधानों के लागू करने की मांग नहीं कर सकता एवं धारा 5 में दी गई शर्तों का उल्लंघन नहीं कर सकता। अतः उक्त प्रकरणों में धारा 5 में विकल्प लेने के पश्चात उसी अनुसार एवं शर्तों के अधीन कर अदा करने के जो निर्णय दोनों अवर अधिकारियों ने दिये हैं वे पूर्णतया विधिसम्मत हैं।

29. विद्वान अभिभाषक श्री बटवाड़ा की यह दलील कि उनके अपीलार्थी द्वारा जो माल खरीदा गया है वह टैक्स पैड है एवं उस पर कोई कर देय नहीं है एवं धारा 5 की उपधारा (2) के प्रावधान अनुसार भी धारा 4 में उद्ग्रहणीय कर से अधिक कर का आरोपण धारा 5 के तहत नहीं किया जा सकता। इस दलील पर विचार करने पर पाया कि धारा 5 में अधिकतम कर लगाने का जो अंकुश धारा 5(2) से लगाया गया है वह किसी एक वस्तु पर धारा 5 में भुगतान योग्य राशि की सीमा तय करती है वह यह है कि धारा 4 में किसी वस्तु पर देय कर से अधिक राशि धारा 5 में नहीं लगायी जावे। इस प्रकरण में यह स्पष्ट है कि धारा 5 में जो एकमुश्त राशि निश्चित की है वह राशि धारा 4 के अनुसार बुलियन पर देय कर से अधिक नहीं आती है बल्कि वह धारा 4 में देय कर से बहुत कम होती है क्योंकि किसी भी स्लेब में दी गई एकमुश्त राशि उस स्लेब की अधिकतम विक्रय राशि के 1 प्रतिशत की कर दर से अधिक नहीं है बल्कि बहुत कम है इस तरह धारा 5 की उक्त अधिसूचना में धारा 5(2) के उपबन्ध की सीमा के भीतर ही कर भुगतान करने के प्रावधान किये हैं अतः श्री बटवाड़ा का तर्क वास्तविक तथ्यों से परे होने से खारिज किया जाता है।

30. विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत किये गये सभी न्यायिक निर्णयों का गहनता से अध्ययन किया गया एवं पाया कि इस प्रकरण के तथ्यों एवं विधि के विवाद के संदर्भित कोई भी निर्णय विपरीत नहीं है बल्कि प्रस्तुत न्यायिक निर्णयों में यह स्पष्ट किया गया है कि किसी भी धारा में दिये गये प्रावधान के शब्दों की Strict पालना की जाना अनिवार्य है।

31. विद्वान अभिभाषक श्री बटवाड़ा द्वारा दिये गये माननीय न्यायिक निर्णयों के दृष्टान्तों में धारा 4 में करदेयता के मामलों में द्वितीय विक्रेता का कोई कर दायित्व नहीं होने का जो अवधारण बताया है, उक्त सभी निर्णयों से पूर्ण सहमति है एवं धारा 4 की पद्धति में कर देने वाले व्यवसायियों के लिये ये

निर्णय पूर्णतया सुसंगत हैं किन्तु हस्तगत प्रकरणों में धारा 4 की करदेयता का विवाद ही नहीं है बल्कि धारा 5 में विकल्प के पश्चात् एकमुश्त राशि के भुगतान का प्रश्न है जो धारा 5 में जारी अधिसूचना के अनुसार अनिवार्य है। श्री बटवाड़ा द्वारा दिये गये न्यायिक निर्णय मैसर्स टाटा स्काई लिमिटेड का उल्लेख किया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया था कि किसी अधिसूचना के जरिये किसी अधिनियम की मूल धारा में दिये गये अधिकार को बढ़ाया नहीं जा सकता बल्कि वह अधिनियम की धारा में प्रदत्त अधिकार की सीमा तक ही कार्य में लिया जा सकता है। उक्त निर्णय को इस प्रकरण में लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि विवादित प्रकरण में अधिनियम की धारा 5 के तहत दी गयी शक्तियों के अधीन ही कम्पोजिशन योजना की अधिसूचना जारी की गई है। श्री बटवाड़ा द्वारा दिये गये माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के अन्य निर्णय **वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त पाली बनाम जसवंत राज विजय राज बोहरा** का जो हवाला दिया गया है वह निर्णय भी इस प्रकरण से सन्दर्भित नहीं किया जा सकता क्योंकि उक्त निर्णय में अधिनियम, 1994 की धारा 15 में कर से विमुक्ति देने की अधिसूचना विवादित थी जिसमें अधिनियम की धारा 15 में प्रदत्त शक्तियों की व्याख्या करते हुए उस अधिसूचना में विमुक्ति देने के लिये देय फीस की गणना हेतु पूरे टर्नओवर को सम्मिलित किया था उसे उचित नहीं माना गया था जबकि इन प्रकरणों में कर से विमुक्ति देने का मामला न होकर अधिनियम की धारा 5 के तहत कर के एवज में एकमुश्त राशि के भुगतान को निश्चित करने हेतु अधिसूचना जारी करने से सम्बन्धित है। अतः विद्वान अभिभाषक द्वारा दिये गये कोई भी सम्मानीय न्यायिक निर्णय अपीलार्थियों को सहायता प्रदान नहीं करते हैं।


32. उक्त पूर्ण विवेचन के पश्चात् यह निर्णीत किया जाता है अधिनियम, 1994 के अध्याय 4 में विहित Levy of Tax के लिये अलग-अलग प्रावधानों के अनुसार निश्चित कर देयता अनुसार कर का भुगतान करने की करदाताओं की बाध्यता है एवं राज्य सरकार द्वारा धारा 5 में जारी अधिसूचना में **स्वैच्छा** से विकल्प लेने के पश्चात् उसमें अंकित शर्तों की पालना करना अनिवार्य है एवं केवल व्यवसायिक लाभ के मद्देनजर शर्तों का उल्लंघन करने की स्वतंत्रता प्रदान नहीं की जा सकती। अतः कर निर्धारण आदेश व अपीलीय आदेशों की पुष्टि की जाती है।

—: 17 :-

1-3. अपील संख्या-1916, 1917 व 1273/2010/जयपुर.

33. उपरोक्त विवेचन के मद्देनजर अपीलार्थी व्यवहारीगण की तीनों अपीलों अस्वीकार की जाती हैं।

34. निर्णय सुनाया गया।

  
( क. एल.जैन )  
सदस्य

  
( खेमराज )  
अध्यक्ष